



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-371/2022

दिनांक- 07-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- जहानागंज

मारपीट में वांछित एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.11.22 को वादी मुकदमा अशोक कुमार चौबे निवासी ग्रा0 गम्भीरवन थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रा0पत्र दिये कि हमारे पट्टिदार ज्योतस्नेन्द्र चौबे उर्फ मिठाई पुत्र स्व0 राधेश्याम चौबे एवं सर्वेश चौबे पुत्र स्व0 हरिनरायन चौबे तथा संध्या चौबे पत्नी सर्वेश चौबे द्वारा प्रार्थी के जमीन पर कुछ दबंग व गोलबन्द व्यक्तियों को लेकर पुलिस रूकवायी गयी मिट्टी को जबरदस्ती समतल कराकर कब्जा किया जा रहा था। प्रार्थी के द्वारा मना करने पर विपक्षीयण द्वारा प्रार्थी के घर में घूसकर प्रार्थी के भाई राजेश कुमार चौबे एवं अन्य परिवार के सदस्यों पर पर ईट पत्थर लाठी डंडा एवं धारदार हथियार द्वारा हमला कर दिया गया जिससे राजेश कुमार चौबे की सिर में चोट आयी तथा अन्य लोग भी घायल हो गये व राजेश कुमार चौबे का सर फट गया है। चोट लगने से मेरा भाई राजेश मौके पर विहोश हो गया। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 444/22 धारा 452/323/324/308 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक- 07.11.2022 को उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित वांछित अभियुक्त सर्वेश चौबे पुत्र स्व0 हरिनरायन चौबे निवासी गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़ को ब्लाक तिराहा के पास से समय करीब 14.40 बजे लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 444/22 धारा 452/323/324/308 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1 सर्वेश चौबे पुत्र स्व0 हरिनरायन चौबे निवासी गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1- उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय मय हमराह जहानागंज आजमगढ़

थाना- जहानागंज

मारपीट में वांछित एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.11.22 को वादिनी मुकदमा राजकुमारी दूबे पत्नी कपिल दूबे ग्राम धर्मनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 5/11/22 को हमारे पड़ोसी से जमीनी विवाद को लेकर मेरे बेटे आशुतोष दूबे को सुनील दूबे पुत्र वशिष्ठ व उनकी माँ हन्सरावती दूबे उनकी पत्नी रेनु दूबे और उनकी बहन स्नेहा दूबे ने मिलकर लाठी डण्डे मारे पीटे जिससे मे बेटे का सर फट गया और मोके पर बेहोश हो गया और गाली गलौज देते हुए जान से मारने कि धमकी दे रहे थे। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 443/22 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक- 07.11.2022 को उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अभियुक्त. 1. सुनील दूबे पुत्र स्व0 वशिष्ठ निवासी धर्मनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को पीआरवी द्वारा थाने पर लाकर संपूर्ण किया गया उ0नि0 मय हमराह नियमानुसार गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उपरोक्त समय करीब 13.45 बजे लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 443/22 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सुनील दूबे पुत्र स्व0 वशिष्ठ निवासी धर्मनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1- उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय मय हमराह जहानागंज आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर
दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना-

दिनांक 01.11.2022 को प्राप्त प्रार्थना पत्र में जेठ द्वारा वादनी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया तथा गाली गुप्ता देते हेतु जान मारने की धमकी दी गयी तथा आवेदिका द्वारा अपने पति से कहने पर आवेदिका के पति व जेठानी तथा सास द्वारा भी मारना पिटना तथा बचाने आये आवेदिका के ससूर को भी प्रतिवादी द्वारा मारना पिटना व आवेदिका के ससूर का कपड़ा फाड़ के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाकिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 335/22 धारा- 376,323,504,506,427 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है जिसके क्रम में -

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- नि0अ0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल के प्राप्त सूचना के आधार पर अभियोग उपरोक्त में नामजद वांछित अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र सत्यानन्द सिंह सा0 बनवारी मोड़ सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के उसके दुकान बनवारी मोड़ सठियाँव से बाद होने तस्दीक अभियुक्त को समय 11.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। नियमानुसार थाना हाजा लाकर दाखिला कराया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:- दुर्गेश यादव पुत्र सत्यानन्द सिंह सा0 बनवारी मोड़ सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 335/202 धारा 376,323,504,506,427 भा0द0वि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 335/2022 धारा 376,323,504,506,427 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. नि0अ0 राकेश कुमार सिंह, का0 मनीष यादव, का0 मुकेश चौधरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

हत्या के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकल्ल बरामद ।

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - दिनांक 21.10.2022 को वादी रुदल यादव पुत्र दासू यादव निवासी अल्लापुर तोवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा उसके भतीजे राहुल यादव पुत्र गंगा यादव निवासी अल्लाहपुर तोवा थाना निजामाबाद आजमगढ़ को विपक्षी सूवेदार पुत्र वासुदेव यादव, हीरालाल पुत्र कल्पनाथ यादव, मनोज यादव पुत्र सुधाकर यादव व अन्य अज्ञात द्वारा पुरानी जमीनी विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण - प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद प्र0नि0 दिनेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त स्वामीनाथ उर्फ मनोज यादव पुत्र सुधाकर यादव निवासी अल्लापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.15 बजे शेरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस जो पूर्व ही फील्ड यूनिट द्वारा बरामद किया गया है जो उक्त आलाकल्ल को स्वामीनाथ उपरोक्त द्वारा प्रयुक्त किया गया है। जिसके आधार पर धारा 3/25 आयुध अधि0 का अपराध पाये जाने पर धारा 3/25 आयुध अधि0 की बढोत्तरी की गयी।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 447/22 धारा 302 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास - उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त- 1 स्वामीनाथ उर्फ मनोज यादव पुत्र सुधाकर यादव निवासी अल्लापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना- फूलपुर

चोरी की बाइक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.11.2022 को उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 358/2022 धारा 411,414,473, IPC से सम्बन्धित बाइक सवार अभियुक्त दिलीप पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी अम्बारी(पाण्डेय का पूरा) थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को माहुल से अम्बारी चौराहा के पास से समय 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाईकिल शाहगंज, जौनपुर से चुराया है और उसे घर पर छिपाकर रखा था उसका नम्बर प्लेट बदलकर दूसरी गाड़ी का लगा दिया है। मोटरसाईकिल HERO HF DELUX काले नीले रंग की व नम्बर प्लेट पर UP-50 AF 1430 अंकित है। वाहन का चेचिस नं0 MBLHA11EWD9A08846 तथा इंजन न0 HA11EFD9A09132 अंकित है। ई-चालान मोबाईल एप पर गाड़ी का चेचिस नं0 डालकर चेक किया गया तो वाहन का वास्तविक नं0 UP-62 AE 4923 वाहन स्वामी वकार अहमद पुत्र काफिस अहमद निवासी सबराहद थाना शाहगंज जिला जौनपुर का होना पाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित मुकदमा - मु0अ0सं0 - 358/2022 धारा 411,414,473, IPC थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- दिलीप पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी अम्बारी(पाण्डेय का पूरा) थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

1. मु0अ0सं0 106ध2021 धारा 279,337,338 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 262 / 2021 धारा 380,411,457 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़ ।
- 3- मु0अ0सं0 358/2022 धारा 411,414,473, IPC थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दिलीप पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी अम्बारी(पाण्डेय का पूरा) थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी-

1. एक अदद चोरी की मोटर साईकिल

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह का0 बीरेन्द्र यादव थाना फूलपुर आजमगढ़ ।

थाना- महाराजगंज

51 लाख रुपये लेकर जमीन दुसरे के नाम विक्रय व पैसा वापस न करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; मारपीट में 02 अन्य गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – अभियुक्त व उसके सहयोगियों द्वारा वादी मुकदमा से छलपूर्वक 2 मि रकबा 0.9400 हे0 विक्रय किये जाने के लिए प्रार्थी से रुपये 51,00,000/ (इक्यावन लाख रुपये) लेकर जमीन अन्य के नाम पर विक्रय किए जाने के एवं पैसा वापस नहीं करना ।

2. गिरफ्तारी की विवरण –थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा दिनांक 07.11.2022 को वांछित अभियुक्त 1- राघवेन्द्र शुक्ला पुत्र दुर्गा शुक्ला निवासी नारायनपुर परशुरामपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 285/2022 धारा 420/406 भादवि को परशुरामपुर बाजार से समय करीब 07.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 285/2022 धारा 420/406 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त – 1-राघवेन्द्र शुक्ला पुत्र दुर्गा शुक्ला निवासी नारायनपुर परशुरामपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह का0 रणजीत सिंह का0 राहुल कुमार व हे0का0 चालक सुमरे सिंह यादव ।

थाना- महाराजगंज

मारपीट में वांछित 02 गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – अभियुक्त द्वारा जमानी विवाद को लेकर वादी मुकदमा के पत्नी ज्ञानती देवी को गाली-गुप्ता देते हुए लात-मुक्का से मारना पीटना जिनका मारपीट से बाया पैर का टूट जाना व मौके पर बेहोश हो जाना व बीच बचाव करने गये वादी के लड़के रवि को भी मारना पीटना व जान माल की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 420/2022 धारा 323/ 504/ 506/ 325/ 308 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण –दिनांक- 07.11.2022 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. लखन्दर पुत्र लालसा शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. अजीत वर्मा पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम संसारे थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को शिवपुर बाजार से समय करीब 07.10 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 420/2022 धारा 323/ 504/ 506/ 325/ 308 भा0द0वि0 थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-मुकदमचा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. लखन्दर पुत्र लालसा शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2. अजीत वर्मा पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम संसारे थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 नन्दलाल कुमार का0 मिथिलेश पासवान थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।